उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-509/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.210-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(268)-2023

लखनऊः दिनांकः 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना सं.-क0नि0-2-136/ग्यारह-9(42)/17उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(99)-2018 दिनांक 30 जनवरी, 2018 में एतद्द्वारा अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पाँचवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाही के लिए या 2019-20 से 2021-2022 तक वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम अधित्यजित हो जाएगी, जो 250 रुपये के आधिक्य में है और पूरी तरह अधित्यजित हो जाएगी जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है।"

2. यह अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव